न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 71/2013

1. श्रीमती सुगनी बैवा कालू।
2. श्री शिवराज पुत्र कालू।
3. श्री शंकर पुत्र कालू।
4. श्री मंगल पुत्र कालू।
5. श्रीमती पार्वती पुत्री कालू।
6. श्रीमती मीरा पुत्री कालू।

समस्त जातिगण नायक, निवासीगण शोकलिया तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती लाड़ा पत्नी राधाकिशन।
2. श्री यज्ञनारायण पुत्र राधाकिशन।
3. श्री सत्यनारायण पुत्र राधाकिशन।
4. श्री अमराव पुत्र राधाकिशन।
5. श्री ताराचंद पुत्र राधाकिशन।
6. श्री दिलीप पुत्र रणजीत ।
7. श्री चंपालाल पुत्र रणजीत।
8. श्रीमती ओम पत्नी गोपाल।
9. श्री रामस्वरूप नाबालिग पुत्र गोपाल जरिये कुदरती वलिया व संरक्षिका माता श्रीमती ओम पत्नी गोपाल।
10. श्री राजू पुत्र अमराव।
11. श्री मुकेश पुत्र यज्ञनारायण।

समस्त जातिगण नायक, निवासीगण शोकलिया तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।
13. पटवारी पटवार हल्का शोकलिया तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

— अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री सज्जन कुमार चौधरी, प्रार्थी।

2. श्री उगमाराम गुर्जर, अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः— 21.11.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्णित आराजीयात मौजा ग्राम शोकलिया तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
476—349	278	10—09—00	बा. 2

Scanned by CamScanner

279	10–11–00	बा. 2
281	19–10–00	बा. 2
282	16–01–00	बा. 2
514	01–16–00	ता. 1
641	02–17–00	बा. 1
642	05–04–00	बा. 1
834	13–06–00	बा. 2
835	01–12–00	बा. 2
1190	00–18–00	चा. अलिफ
1353	02–17–00	ता. 2
2621/899	01–00–00	बा. 2
2622/900	00–14–00	बा. 2

यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

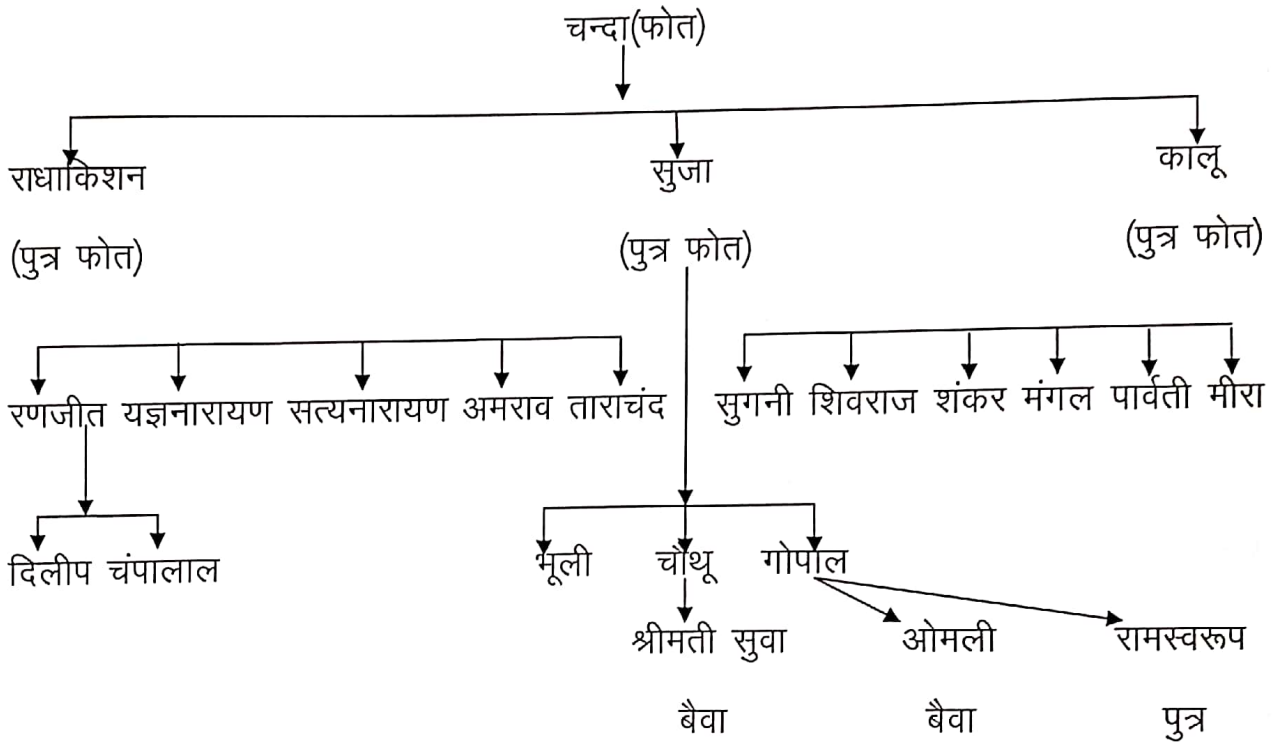

यह कि उपरोक्त भूमि पक्षकारान की पैतृक है एवं पक्षकारान आपस में सजरा अनुसार एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त आराजी का पूर्वजों द्वारा पारिवारिक विभाजन लगभग 25–30 वर्ष पूर्व कर दिया था। पारिवारिक विभाजन के पश्चात से उपरोक्त आराजीयात में पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है एवं काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी में प्रार्थीगणों का हिस्सा 1/3 हक हिस्सा है। वाद वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है भूमि संयुक्त होने से पक्षकारान को अपने अपने हक हिस्से की आराजीयात में तरकियात करने में परेशानी रहती है इसलिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगणों को भूमि के विभाजन हेतु कई बार कहा तो वे आश्वासन देते रहे एवं दिनांक 15.07.2013 को इंकार हो गये एवं खुले आम प्रार्थीगण

Scanned by CamScanner

को धमकी दे रहे है कि हम तुम्हें बेदखल करके रहेगें। यह कि प्रार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी से अपनी आराजीयात की जमाबंदी दिनांक 16.07.2013 को कानूनी कार्यवाही हेतु प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी सं. 2 व 4 ने छल कपट करते हुये प्रार्थीगण सहित अन्य खातेदारान की कृषि भूमि खसरा सं. 641 व 642 का अप्रार्थीगण सं. 2 ने अपने नाम फर्जी व कूटरचित दस्तावेज बेयनामा दिनांक 06.12.12 व 09.07.13 को करवा लिया एवं राजस्व अभिलेख में फर्जी बेयनामा के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। प्रार्थीगणों ने अप्रार्थीगण सं. 2 व 4 के विश्वास में आकर दस्तखत/अंगूठा निशानी कर दिये। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थी को दिनांक 02.08.2013 को हुई जब प्रार्थीगण ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बेयनामा की नकले प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि अप्रार्थीगण सं. 2 व 4 ने प्रार्थीगण सहित अन्य पक्षकारान को धोखें में रखकर पावर ऑफ अटोर्नी करवाकर अप्रार्थी सं. 2 ने बहैसियत पावर ऑफ अटोर्नी क्रेता व विता स्वंय बनकर अपने नाम बेयनामें निष्पादित करवा लिये एवं अपने नाम राजस्व अभिलेख में खसरा सं. 641, 642 अकेले के नाम दर्ज करवा ली जो गलत है। कथित बेयनामा प्रार्थीगण के हक पर नाजायज व बेअसर है एवं अप्रार्थीगणों ने प्रार्थीगणों को प्रतिफल राशि भी नहीं दी। यह कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 2 को उक्त विक्रय पत्र को अवैध व नाजायज मानने बावत कहा एवं उक्त अनुचित कार्यवाही ना करने हेतु निवेदन किया परंतु अप्रार्थी सं. 2 ने इंकार कर दिया एवं जमीन का राजस्व अभिलेख में अपने नाम नामन्तरकरण करा लिया। उक्त अवैध विक्रय पत्र के आधार पर एवं वादीगण के हक हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होते हुये भी राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी सं. 13 ने अप्रार्थी सं. 2 के नाम दर्ज कर दिया है जो कि उनका अवैध कृत्य एवं कानून की मंशा के विपरीत कृत्य मालूम होता है एवं उक्त अवैध व विधि विपरीत कार्यवाही के आधार पर अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद किये जाने का निवेदन किया। उपरोक्त कारणों एवं विक्रय पत्र को अवैध व नाजायज घोषित कराते हुये प्रार्थीगण उक्त आराजीयात में अपने खातेदारी हक की घोषणात्मक डिक्रि खिलाफ अप्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी है एवं प्रत्येक अपने 1/3 हक हिस्से अनुसार विभाजन कराने के हकदार है। यह कि अप्रार्थी सं. 12 भूमि का लेण्ड लोर्ड है एवं अप्रार्थी सं. 13 राजस्व अभिलेख संधारित करता है जिससे वे आवश्यक फरीक मुकदमा होने से अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी सं. 12 व 13 को भी अवैध विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थी सं. 2 के नाम वाद वर्णित भूमि में से खसरा सं. 641, 642 राजस्व अभिलेख में दर्ज की है उसे हटाये जाने का निवेदन किया तो उन्होनें दिनांक 05.08.2013 इन्कार कर दिया एवं कहा कि सक्षम न्यायालय में वाद दायर करे। यह कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः–

- प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम शोकलिया संवत् 2068–2071
- प्रतिलिपी नामान्तरण सं. 1464 ग्राम शोकलिया
- प्रतिलिपी विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2012
- प्रतिलिपी मुख्तार नामा आम दिनांक 03.112012
- प्रतिलिपी विक्रय पत्र दिनांक 08.07.2013
- प्रतिलिपी मुख्तार नामा आम दिनांक 03.112012

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी एक ही परिवार के सदस्य है। यज्ञनारायण द्वारा छल कपट से बंटवारे के नाम से ख. नं. 641 व 642 का बेचाननामा जरिए मुख्तार नामा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से स्वंय के नाम करवा लिया। अतः वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी सं. 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि में विवादित आराजी में सहखातेदार हूं एवं सहखातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हूं एवं विवादित आराजी जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं बहस के तथ्यों पर गहन विधिक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध जमाबंदी ग्राम शोकलिया संवत् 2068–2071 से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी विवादित आराजी में रिकार्डेड सहखातेदार है एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2012 एवं 03.11.2012 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को विक्रय की गई है। अतः पृथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

प्रार्थी द्वारा जरिए मुख्तार नामा वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी सं. 2 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की गई है। जिसके अनुसार अप्रार्थी द्वारा राशि का भुगतान कर कब्जा प्राप्त किया है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः अपूर्तनीय क्षति की भी प्रार्थी को कोई संभावना नहीं है।

प्रार्थी या अप्रार्थी को विवादित आराजी या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिए इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक विचारण उपरांत विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र या अप्रार्थी के प्रस्तुत जवाब पर।

चूंकि प्रार्थी अपने पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् सिद्ध करने में असफल रहा है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नंबर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.01.23 12:27:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: